यालय नाo तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 420/18

सरकार बनाम श्रीः इन्द्राज पुत्र मांगीलाल मीना ग्राम गाजीपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 20/03/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री इन्द्राज पुत्र श्री मांगीलाल जाति मीना निवासी गाजीपुर तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रबि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम गाजीपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 490 कुल रकबा 0.06 किस्म ~~गैरमु~~ रास्ता भूमि से 100 m² रकबा पर अनाधिकृत रूप से ~~पुख्ता~~ दीवार एवं पाटोल डालकर कब्जा, कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.06 का 50 गुना 3/- राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 82 पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि ... 3/- ...
की जमा कायमी की ...
दिनांक 20/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा